मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः 40 दिनांकः 18.3.13

दिशा निर्देश

आदेश क्रमांक 737 दिनांक 01.03.2013 को प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा उपकरण एवं श्रम शक्ति को आऊट सोर्स करने हेतु प्रदान किए गए निर्देशो में बिन्दु संख्या 16 में मेन पावर के प्रति विजिट कन्सल्टेशन भुगतान के बारे में निर्देश प्रदान किए गये है। कई स्थानों पर उपयुक्त मेनपावर(रिकोगनाईज डिग्री) उपलब्ध नही होने के कारण निम्नलिखित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जाते है।

1. जिन संस्थानों पर मेनपावर की निविदा जारी करने के पश्चात् भी उपयुक्त मेनपावर(रिकोगनाईज डिग्री) लैब टेक्निशियन उपलब्ध नही हो पा रहे है, वहाँ अनुभव प्राप्त, न्यूनतम सैकण्डरी एवं लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमाधारी (9 माह प्रशिक्षण) को श्रम विभाग के आदेश क्रमांकः एफ.5(6)न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट जयपुर, दिनांकः 6.8.2012 के अनुसार नियोजन अभिकरण (प्लेसमेंट एजेंसी) के माध्यम से उच्च कुशल श्रेणी में रखते हुए सहायक लैब टेक्निशियन के रूप में लिए जा सकता है जो कि वरिष्ठ लैब टेक्निशियन के सुपरविजन में कार्य सम्पादन करेगे।
2. जिन संस्थानों पर मेनपावर की निविदा जारी करने के पश्चात् भी उपयुक्त मेनपावर(रिकोगनाईज डिग्री) रेडियोग्राफर उपलब्ध नही हो पा रहे है, वहाँ अनुभव प्राप्त, डिप्लोमाधारी को श्रम विभाग के आदेश क्रमांकः एफ.5(6)न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट जयपुर, दिनांकः 6.8.2012 के अनुसार नियोजन अभिकरण (प्लेसमेंट एजेंसी) के माध्यम से कुशल श्रेणी/उच्च कुशल श्रेणी(उपलब्धता के आधार पर) में रखते हुए सहायक रेडियोग्राफर के रूप में लिए जा सकता है जो कि वरिष्ठ रेडियोग्राफर के सुपरविजन में कार्य सम्पादन करेगे।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः दिनांकः

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, राजस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ